बिहार राज्य खाद्य आयोग
सबको आहार सबका अधिकार

बिहार राज्य खाद्य आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन
2024-25

पता : ऑफिसर्स फ्लैट 19-20/84, न्यू पुनाईचक, पटना - 800023

शुभकामना संदेश

लेशी सिंह
मंत्री
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार सरकार

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य खाद्य आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के कार्यान्वयन के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के पश्चात् इस अधिनियम को और प्रभावी करने हेतु अपनी उपलब्धियों तथा सुझावों सहित वार्षिक प्रतिवेदन 2024–25 तैयार किया गया है, जिसे बिहार विधान मंडल के पटल पर रखा जा रहा है।

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिनांक 01.02.2014 से प्रभावी है । उक्त अधिनियम अन्तर्गत वर्तमान में पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के प्रत्येक लाभुकों को 5 (पाँच) किलोग्राम खाद्यान्न तथा अन्त्योदय अन्न योजना अन्तर्गत 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत कुल 2.01 करोड़ परिवार राशन कार्ड से आच्छादित हैं, जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना अन्तर्गत 22.78 लाख परिवार एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के अधीन 1.78 करोड़ लाभुक परिवार आच्छादित हैं। बिहार राज्य के लिए भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 85.12 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत आबादी को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार 8.71 करोड़ लाभुकों की अनुमान्यता है।

मै इस अति महत्वपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में बिहार राज्य खाद्य आयोग के सभी संबंधित अधिकारियों के योगदान की प्रशंसा करती हूँ । आशा है कि भविष्य में भी आयोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी ।

धन्यवाद !

(लेशी सिंह)

खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को गरिमामयी जीवन निर्वाह करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके मानव जीवनचक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं यथा सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना, समेकित बाल विकास योजना आदि के माध्यम से जनमानस को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराती है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के तहत उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु बिहार राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्नों की उपलब्धता एवं वितरण के कारण बिहार राज्य में अब भुखमरी की समस्या दूर हो चुकी है और भोजन के साथ पर्याप्त पोषण मुहैया कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों से फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालयों में पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

बिहार राज्य खाद्य आयोग द्वारा विभिन्न जिलों में भ्रमण, बैठक एवं कार्यशाला आयोजित कर इन योजनाओं का अनुश्रवण किया जाता है एवं आवश्यक निदेश भी दिये जाते हैं। आयोग द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को इन योजनाओं के बारे में लगातार अवगत कराया जा रहा है तथा पात्र लाभुकों के हितों के उल्लंघन होने पर उनके शिकायतों का समाधान भी किया जा रहा है।

विभिन्न योजनाओं के संबंध में अंकित तथ्यों, विभिन्न जिलों के समीक्षात्मक भ्रमण, खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े पात्र लाभुकों से बातचीत, विभिन्न समाजसेवी संस्थानों तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से जुड़े गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है। आशा है कि प्रतिवेदन में अंकित तथ्य एवं सुझाव इस अधिनियम के और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण में उपयोगी सिद्ध होंगे।

विद्यानन्द विकल

(विद्यानंद विकल)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–16 के अन्तर्गत वर्ष 2014 में बिहार राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस आयोग की नियमावली अधिसूचना सं०–386 दिनांक–21.01.2014 द्वारा अधिसूचित की गई है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना एवं जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्राप्त अपील की सुनवाई करना आयोग के प्रमुख कार्य हैं। साथ ही, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना भी आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। अधिनियम के अनुसार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना है।

आयोग द्वारा NFSA के तहत विभिन्न योजनाओं के संचालन में कार्यरत विभागों एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों को आयोग के सम्बन्ध में जानकारी देने एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से सतत् कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

आयोग के माननीय अध्यक्ष, पदाधिकारियों एवं कर्मियों के सहयोग एवं समन्वय से हमने वर्ष–2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया है। माननीय अध्यक्ष के क्षेत्र भ्रमण, कार्यशालाओं से प्राप्त निष्कर्ष तथा आमजन के साथ संवाद के आधार पर अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इस वार्षिक प्रतिवेदन में कतिपय सुझाव दिए गए हैं। आयोग के अवर सचिव, श्री रितेश कुमार एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, श्री रवि कुमार का इस कार्य में सराहनीय योगदान रहा है। आशा है कि यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन में उपयोगी साबित होगा।

(एकता वर्मा)
सदस्य सचिव

विषय सूची

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	01
2.	अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाएँ	02–08
3.	बिहार राज्य खाद्य आयोग का गठन एवं संरचना	09
4.	बिहार राज्य खाद्य आयोग के उद्देश्य	10–11
5.	बिहार राज्य खाद्य आयोग की शक्तियाँ	11
6.	बिहार राज्य खाद्य आयोग के कार्य	11–12
7.	आयोग की आन्तरिक बैठक	12–14
8.	आयोग द्वारा निष्पादित कार्य	15–23
9.	सुझाव	24–25
10.	जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों की सूची	26–27
11.	अखबार कतरन एवं तस्वीरें	28–32

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमः एक परिचय

जनमानस को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में उत्कृष्ट खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके मानव जीवनचक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया गया है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–10 सितम्बर 2013 को अधिसूचित किया पर यह 5 जुलाई 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। यह अधिनियम मानव के संपूर्ण जीवन चक्र की बात करता है कि उन्हें उचित भुगतेय मूल्य पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध करायी जा सके ताकि प्रत्येक अवस्था में मानव सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। यह अधिनियम मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों की बात करता है। यह अधिनियम पूरे जनसंख्या की 2/3 (दो तिहाई) आबादी को आच्छादित एवं बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने की बात कहता है।

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह सहायता प्राप्त कीमतों पर प्राप्त करने एवं अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत कार्डधारी 35 किलोग्राम प्रति परिवार अनाज, सहायता प्राप्त कीमतों पर प्राप्त करने के हकदार हैं। वर्तमान में अन्त्योदय कार्ड धारकों एवं लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूरक पोषाहार, स्तनपान को बढ़ावा देने की बात करता है। अधिनियम में घर की मुखिया महिला, जो 18 वर्ष से अधिक की हो, के नाम से ही राशन कार्ड होना है, जो महिला सशक्तिकरण को इंगित करता है।

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना एवं अन्त्योदय अन्न योजना

लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली अंतर्गत पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति की दर से उपलब्ध कराया जाता है। वहीं अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत पात्र गृहस्थी को 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

वर्तमान में उक्त योजना अन्तर्गत पात्र लाभुकों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2023–24 के अंत तक बिहार में कुल राशन कार्डों की संख्या–2,00,28,509 (PHH-17741166 एवं AAY-2287343) है । वर्ष 2023–24 में पूर्विकता प्राप्त श्रेणी में 7,09,264 नये राशन कार्ड बनाए गए । वहीं अन्त्योदय योजना अन्तर्गत 2762 नए राशनकार्ड बनाए गए । राशन कार्डों में 98.54 प्रतिशत आधार सीडेड है एवं ई–केवाईसी में 76 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया गया है। सरकार द्वारा वर्तमान में पोषणयुक्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है।

विभाग द्वारा epos.bihar.gov.in वेबसाईट का संचालन किया जा रहा है जिससे राशन कार्ड, जन–वितरण प्रणाली की दुकान, खाद्य आपूर्ति इत्यादि की अद्यतन सूचना प्राप्त की जा सकती है । विभाग के द्वारा दिनांक–31.03.2025 तक सभी लाभुकों का ईकेवाईसी (E-KYC) पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसी भी अनियमितता को रोका जा सके।

समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS)

इस योजना अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में इस योजना अन्तर्गत बिहार राज्य में 1,15,009 आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 88,70,868 बच्चों एवं 9,19,452 गर्भवती/धात्री माताओं को लाभ पहुँचाया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत

➢06 माह से 36 माह तक के बच्चों के लिए रेडी टू कुक सामग्री उपलब्ध कराया जाता है जो निम्न है:-

प्रति लाभार्थी प्रति माह

चावल (ग्रा0)	मूंगदाल (ग्रा0)	मसाला मिक्स (ग्रा0)	सोयाबीन (ग्रा0)	नमक (ग्रा0)	तेल (ग्रा0)
1875	750	12.5	500	50	250

➢06 माह से 36 माह तक के अति कुपोषित बच्चों के लिए रेडी टू कुक सामग्री उपलब्ध कराया जाता है जो निम्न है:-

प्रति लाभार्थी प्रति माह

चावल (ग्रा0)	मूंगदाल (ग्रा0)	मसाला मिक्स (ग्रा0)	सोयाबीन (ग्रा0)	नमक (ग्रा0)	तेल (ग्रा0)
2942.5	1337.5	25	500	75	500

➢03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों के लिए निम्न मेन्यू के अनुसार सुबह का नाश्ता एवं गर्म पका भोजन दिया जाता है :-

दिन	सुबह का नाश्ता	नाश्ते के अतिरिक्त	गर्म पका भोजन
सोमवार	भुना चना, मूंगफली	–	चावल का पुलाव
मंगलवार	केला,पपीता या मौसमी फल	दूध	आलू चना सब्जी, चावल
बुधवार	अंकुरित चना, गुड़	अंडा/मूंगफली	सोयाबीन सब्जी, चावल
बृहस्पतिवार	केला,पपीता या मौसमी फल	दूध	रसियाव
शुक्रवार	केला,पपीता या मौसमी फल	अंडा/मूंगफली	कद्दूदाल/सागदाल,चावल
शनिवार	केला,पपीता या मौसमी फल	–	चावल दाल की खिचड़ी

➢गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए रेडी टू कुक सामग्री उपलब्ध कराया जाता है जो निम्न है:–

प्रति लाभार्थी प्रति माह

चावल (ग्रा0)	मूंगदाल (ग्रा0)	मसाला मिक्स (ग्रा0)	सोयाबीन (ग्रा0)	नमक (ग्रा0)	तेल (ग्रा0)
2250	1000	12.5	375	62.5	375

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा–4 के प्रावधानों के अनुसार लागू किया जा रहा है, जो गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करानेवाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य माता और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है, साथ ही वेतन हानि, यदि कोई हो, के लिए मुआवजा देना है। इस योजना अन्तर्गत प्रथम गर्भवती महिला को (पात्रता के आधार पर) ₹ 5000/– की राशि दो किस्तों में DBT के माध्यम से एवं द्वितीय कन्या शिशु होने पर ₹ 6000/– की राशि एकमुश्त दी जाती है। इससे जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार होगा और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में मदद मिलेगी। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1,45,832 लाभुकों के खाते में ₹ 52,84,30,000/– राशि का अंतरण किया गया।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना

खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत 06 वर्ष से 14 वर्ष के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अन्तर्गत दोपहर को पोषणयुक्त पकाया गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि अधिनियम की अनुसूची–2 में प्रावधानित पोषण मानकों को पूरा किया जा सके। इस योजना अन्तर्गत राज्य के 68,164 विद्यालयों में 1,73,61,901 छात्र/छात्राओं को निम्न मेन्यू के अनुसार पोषणयुक्त पकाया गर्म भोजन एवं अंडा/मौसमी फल उपलब्ध कराया जा रहा है :–

क्र0सं0	दिन का नाम	मेन्यू
1.	सोमवार	चावल + मिश्रित दाल + हरी सब्जी
2.	मंगलवार	जीरा चावल + सोयाबीन आलू की सब्जी
3.	बुधवार	खिचड़ी (हरी सब्जी युक्त) + चोखा + केला/मौसमी फल
4.	गुरूवार	चावल + मिश्रित दाल + केला/मौसमी फल
5.	शुक्रवार	पुलाव+ काबुली चना/लाल चना का छोला + अंडा/मौसमी फल
6.	शनिवार	खिचड़ी (हरी सब्जी युक्त) + चोखा + फल

वर्तमान में शिक्षा विभाग के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत् बिहार के मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पूर्णियाँ, भागलपुर, लखीसराय, गया एवं औरंगाबाद के 2–2 पंचायतों अर्थात् 10 जिलों के 20 पंचायतों में पंचायत स्तरीय मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत व्यवस्थापकों के माध्यम से बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि शिक्षकों से भोजन तैयार कराने एवं बच्चों को खिलाने में लगा समय व्यर्थ न हो एवं बच्चों का पठन–पाठन प्रभावित न हो।

बिहार राज्य खाद्य आयोग का गठन एवं संरचनाः–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 की धारा 16(I) के आलोक में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने और इसका मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए बिहार सरकार के द्वारा संकल्प संख्या– 388 दिनांक 21.01.2014 के द्वारा बिहार राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। आयोग के माननीय अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। आयोग में सदस्यों को राज्य सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त है और सदस्य सचिव राज्य सरकार के अधीन संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होते हैं। आयोग के कार्यों के सुचारू संचालन में सहायता के लिए कार्यालय हेतु निम्न पद स्वीकृत हैं:–

1.	संयुक्त सचिव (सदस्य सचिव हेतु)	–	01
2.	उप सचिव	–	01
3.	प्रधान आप्त सचिव	–	01
4.	आप्त सचिव (राज्य संवर्ग के बेसिक ग्रेड)	–	01
5.	अवर सचिव	–	01
6.	प्रशाखा पदाधिकारी	–	01
7.	आप्त सचिव	–	01
8.	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	–	04
9.	आशुलिपिक	–	07
10.	निम्नवर्गीय लिपिक	–	05
11.	कार्यालय परिचारी	–	06

वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष सहित निम्न सदस्य / सदस्य सचिव कार्यरत है:–

अध्यक्ष	:	श्री विद्यानन्द विकल
सदस्य सचिव	:	श्रीमती एकता वर्मा

बिहार राज्य खाद्य आयोग के उद्देश्य

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निम्नांकित बिंदुओं के सफल उपलब्धि हेतु आयोग संकल्पित है:–

1. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर निर्धारित समय पर सही मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो सके।
2. गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार उपलब्ध हो। साथ ही पोषाहार सहायता हेतु प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत भी नकद राशि लाभार्थियों को निश्चित समय पर उपलब्ध हो सके।
3. बालकों / बालिकाओं (बच्चों) को पूरक पोषाहार सहायता:
   - छ: माह से कम उम्र के बच्चों के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम एवं प्रचार प्रसार हो।
   - छ: माह से छ: वर्ष के आयु समूह के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मानक पूरक पोषाहार, गर्म भोजन सहित उपलब्ध हो।
   - छ: वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित नि:शुल्क मध्याह्न भोजन निर्बाधित रूप से गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनुरूप प्राप्त हो सके।
   - आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएँ उपलब्ध हो।
4. बालकों के कुपोषण निवारण एवं प्रबंधन हेतु सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रम जैसे पोषण एवं पुनर्वास केन्द्र का अनुश्रवण हो।
5. भारत सरकार की 25 जनवरी 2023 को जारी अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची –2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार मानकों का संशोधन किया गया। इसके अनुसार विभिन्न आयुवर्गों के बालकों, कुपोषित बालकों, गर्भवती माताओं तथा स्तनपान करानेवाली माताओं को न सिर्फ ऊर्जा (कैलोरी) बल्कि गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार फोलेट, विटामिन A, B-6 एवं B-12 भी भोजन द्वारा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। आयोग इसका सतत् पर्यवेक्षण हेतु कृत संकल्पित है।

6. प्रत्येक राशन कार्ड परिवार की मुखिया महिला (अगर 18 वर्ष से अधिक की हो) के नाम से हो।

बिहार राज्य खाद्य आयोग की शक्तियाँः-

i. बिहार राज्य खाद्य आयोग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अध्याय– 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर जांच अथवा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की होती हैं, अर्थात्,

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना

(ड़) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना,

ii. राज्य खाद्य आयोग को किसी मामले को, उसका विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसा मामला अग्रेषित किया जाता है, अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा, मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 के अधीन उसको अग्रेषित किया गया है।

बिहार राज्य खाद्य आयोग के कार्यः-

(क) राज्य के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

(ख) अधिनियम के अध्याय (II) के अधीन उपबंधित एकदायित्वों के उल्लंघनों की, स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जाँच करना।

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना।

(घ) व्यष्टियों को इस अधिनियम के विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुँच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना।

(ङ) जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करना।

(च) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

आयोग की आन्तरिक बैठक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आयोग के कार्यों को गति देने, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से नियमित बैठक करने का प्रावधान है। इस निमित्त आयोग में माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक की जाती है। आयोग की बैठकों में लिए गए निर्णय निम्न हैं:-

1. बिहार राज्य खाद्य आयोग का वेबसाईट शीघ्र बनाया जाए एवं उसमें ऑनलाईन शिकायत दायर करने की सुविधा हो ताकि राज्य के दूरस्थ स्थानों से भी कोई भी शिकायतकर्त्ता अपनी शिकायत से आयोग को अवगत करा सके। बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वेबसाईट निर्माण हेतु एन0आई0सी0, पटना से अनुरोध किया गया। एन0आई0सी0 द्वारा आयोग का वेबसाईट का निर्माण कर दिया गया है एवं इसे दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित किया गया है।

2. आयोग के कार्यों के प्रचार–प्रसार हेतु एवं आयोग के कार्यों एवं शक्तियों के सम्बन्ध में आम लोगों को अवगत कराने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में इस आशय का विज्ञापन नियमित रूप से प्रकाशित होता है। आयोग कार्यालय परिसर में फ्लैक्स बोर्ड लगाए गए हैं। इन उपायों के कारण आम जन तक आयोग की पहुँच बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई तथा इसके बाद से आयोग में प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

3. आयोग के कार्यों एवं शक्तियों के बारे में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से चार चरणों में कार्यशाला का आयोजन किया गया है एवं कार्यशाला में प्राप्त विचारों एवं सुझावों को समाहित करते हुए कार्यवाही निर्गत की गई है एवं इससे सभी संबंधित को अवगत कराया गया है। आयोग की पहुँच आम लोगों तक सुगमता पूर्वक पहुँचाने के लिए एक टॉल फ्री दूरभाष के अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया। वर्तमान में आयोग के टॉल फ्री दूरभाष संख्या– 18003456194 एवं 1967, जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बद्ध है, कार्य कर रहे हैं।

4. यह निर्णय लिया गया है कि खाद्य आपूर्ति के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे राज्यों में आयोग की टीम भ्रमण करे एवं वहाँ के कार्यप्रणाली का अध्ययन कर प्रतिपुष्टि प्राप्त करे ताकि इसका उपयोग बिहार में भी किया जा सके। आगामी वित्तीय वर्ष में यह भ्रमण कार्यक्रम संपन्न करने का निर्णय लिया गया है।

5. आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन शीघ्र तैयार करने हेतु आयोग की बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि आयोग के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं सुझाव हेतु राज्य के जिलों का भ्रमण करेंगे तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उक्त के आलोक में अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के द्वारा राज्य के सभी जिलों में भ्रमण किया गया है तथा पदाधिकारियों एवं आम जन से खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी जनवितरण प्रणाली योजना, आँगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन योजना इत्यादि के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं उक्त अधिनियम के और बेहतर कार्यान्वयन हेतु प्रतिपुष्टि प्राप्त किया गया है। इनके आधार पर आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

6. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा समीक्षात्मक भ्रमण, परिवादों की जाँच एवं अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त वाहन की सुविधा सुचारू रूप से बहाल रखने के उद्देश्य से भाड़े पर वाहन प्राप्त करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

7. आयोग का प्रमुख कार्य स्वप्रेरणा से अथवा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील सुनना है। इस हेतु आयोग की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि न्यायालय में प्राप्त वादों की तत्परता पूर्वक सुनवाई की जाए।

8. केन्द्रीय सहायता के तहत प्राप्त राशि ₹ 34,18,958/– के द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु अनिर्माणकारी उपस्करों इत्यादि के क्रय करने का निर्णय लिया गया।

आयोग द्वारा निष्पादित कार्य

न्यायालय :–

माननीय अध्यक्ष सहित सदस्यों के द्वारा अनाज की आपूर्ति से सम्बन्धित विविध शिकायतों यथा कम अनाज देना, अधिक राशि लेकर अनाज देना एवं अन्य शिकायतों पर न्यायालय में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में परिवादी सहित सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित रहने का निदेश दिया जाता है एवं दोनों पक्षों को सुनकर एवं उपलब्ध कागजातों का अध्ययन कर आदेश पारित किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC No 5617/2021 दिनांक–22.12.2021 श्री अभिमन्यु सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश में सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग को मामले की सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु निदेशित किया गया जिसके आलोक में सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग के द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया।

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी:–

सामान्य प्रशासन विभाग, पटना की अधिसूचना सं0– 1853 दिनांक 10.02.2014 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण सम्बन्धी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता को सम्बन्धित जिला के लिए पदेन जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करने का निदेश है। इस आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना की अधिसूचना सं0– 4109 दिनांक–18.08.2017 के आलोक में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का नाम एवं दूरभाष संख्या के साथ पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है। सभी जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों के नाम एवं दूरभाष संख्या की तालिका इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है। अब तक आयोग को किसी भी जिले से एक भी अपील प्राप्त नहीं हुआ है।

परिवाद पत्र:-

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्याय-2 में उपबंधित हकदारियों के उल्लंघन के ऐसे मामले, जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, के आयोग के संज्ञान में आने पर आयोग द्वारा जाँच एवं आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण भी किया जाता है। तदोपरांत संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिये जाते हैं अथवा परिवाद के मामले में आदेश पारित किया जाता है।

खाद्य आपूर्ति से सम्बन्धित कई ऐसे मामले होते हैं जो अति गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं। ऐसे परिवाद पत्रों के प्राप्त होते ही संबंधित पदाधिकारियों को आयोग द्वारा पत्र के माध्यम से त्वरित कार्रवाई का निदेश दिया जाता है तथा कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निदेश भी दिया जाता है। आयोग में अब तक जितने परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं, सभी पर कार्रवाई की जा रही है।

क्षेत्र भ्रमण/अनुश्रवण / प्रचार प्रसार:-

बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में संबंधित विषयों के समुचित क्रियान्वयन हेतु, कार्यक्रमों के अनुश्रवण, शिकायतों की जाँच तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रचार-प्रसार हेतु जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं गाँव स्तर तक क्षेत्र भ्रमण किया गया। भ्रमण के साथ-साथ सभी संबंधित विभागों यथा आपूर्ति विभाग, आँगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की जाती है एवं विभागवार पदाधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है तथा उसकी समीक्षा की जाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के बेहतर कार्यान्वयन के लिए आमजन के साथ संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के समस्याओं एवं सुझावों को सुना जाता है।

कार्यालय का सुसज्जन

केन्द्रीय सहायता के तहत प्राप्त राशि से कार्यालय हेतु फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य उपकरणों का क्रय कर कार्यालय को सुसज्जित करने का कार्य किया गया।

समीक्षा बैठक

जिला परिसदन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से
संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

हाजीपुर परिसदन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013
से संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

क्षेत्र भ्रमण

क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता के बीच खाद्य सुरक्षा अधिनियम
अन्तर्गत योजनाओं के बारे में प्रचार–प्रसार

क्षेत्र भ्रमण के दौरान आमजन के साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम
अन्तर्गत योजनाओं के बारे में संवाद करते हुए

कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रावधानों एवं आयोग के कार्यों एवं शक्तियों से अवगत कराने और इस अधिनियम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं को आमजन तक पहुँच बनाने हेतु पदाधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोग के द्वारा सतत् बैठक/कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन किया जाता है।

बैठक/कार्यशाला/सेमिनार में पदाधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013, सरकार के महत्वपूर्ण आदेश/पत्र/परिपत्र, आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण आदेश/पत्र, न्यायालय द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों की प्रति अध्ययन सामग्री के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। इस अधिनियम से संबंधित योजनाओं के संबंध में विस्तृत परिचर्चा की जाती है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में कोई कठिनाई प्रतिवेदित होती है, तो उस पर भी परिचर्चा की जाती है एवं पदाधिकारियों के सुझावों को सुना जाता है। पदाधिकारियों को सरकार की योजनाओं को पूर्ण सफल बनाने हेतु प्रेरित किया जाता है। बैठक/कार्यशाला/सेमिनार से प्राप्त निष्कर्षों को समाहित कर कार्यवाही के रूप में संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

अब तक आयोग कार्यालय द्वारा आयोजित किए गए बैठक/कार्यशालाओं की विवरणी निम्न है:–

➢ दिनांक 09.02.2022 से दिनांक 08.03.2022 – जिला शिकायत निवारण अधिकारी

- दिनांक 24.02.2023 से दिनांक 03.03.2023– जिला शिकायत निवारण अधिकारी
- दिनांक 03.10.2023 से दिनांक 06.10.2023– प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (सदर)
- दिनांक 02.01.2024 से दिनांक 10.01.2024– प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी

- दिनांक 12.02.2024 से दिनांक 16.02.2024– सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी
- दिनांक 05.03.2024 से दिनांक 11.03.2024– सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी
- दिनांक 11.09.2024 से दिनांक 19.09.2024– जिला आपूर्ति पदाधिकारी

आयोग के द्वारा प्रचार–प्रसार एवं आम जन में आयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशालाओं में पदाधिकारियों को आयोग के प्रचार–प्रसार हेतु आयोग के कार्यों एवं शक्तियों के सम्बन्ध में एक–एक फ्लैक्स उपलब्ध कराया जाता है एवं निदेशित किया जाता है कि इस फ्लैक्स को जिला/अनुमंडल/प्रखंड मुख्यालय में किसी उचित स्थान पर अधिष्ठापित किया जाए।

इसी प्रकार उन्हें आयोग के कार्यों एवं शक्तियों से सम्बन्धित ग्लौसी पेपर पर मुद्रित पैम्फलेट भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें आयोग के माननीय अध्यक्ष/सदस्य सचिव एवं आयोग के पदाधिकारियों की दूरभाष संख्या, आयोग के कार्यालय की दूरभाष संख्या, आयोग का पता, ईमेल एवं वेबसाईट मुद्रित रहता है। पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे इस पैम्फलेट को आम जन को वितरित करें तथा उन्हें यह सुझाव दें कि यदि उन्हें खाद्य आपूर्ति के मामले में कोई शिकायत होती है, तो पैम्फलेट में अंकित पता अथवा ई–मेल पर संबंधित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी या सीधे आयोग को अपना परिवाद समर्पित कर सकते हैं। आयोग के इस पहल का काफी सकारात्मक प्रभाव हो रहा है तथा आयोग में शिकायत प्राप्त हो रहे हैं, जिनका समाधान आयोग स्तर से किया जा रहा है।

- खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत पात्र लाभुकों के शिकायतों के निपटान हेतु बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को अपीलीय प्राधिकार के रुप में नामित किया गया है।
- कोई भी परिवादी बिहार राज्य खाद्य आयोग के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर अथवा निबंधित डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों यथा ई-मेल एवं बेवसाईट के माध्यम से अपील दर्ज करा सकते हैं।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सुझाव से आयोग को डाक अथवा अन्य माध्यमों से अवगत कराया जा सकता है।

GALLERY

बिहार सरकार

बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना

: www.brka.bih.nic.in
: brkapatna@gmail.com
: 0612-2283951 (कार्यालय)
: +91-9431420979 (अध्यक्ष)
: +91-9334416295 (सदस्य-सचिव)
: +91-9835345859

किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए
टॉल फ्री नंबर **1800 3456 194**
एवं **1967** पर कॉल करें।

बिहार सरकार

बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना

ऑफिसर्स फ्लैट 19-20/84
न्यू पुनाईचक, पटना - 800023

बिहार राज्य खाद्य आयोग

जनमानस को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में उत्कृष्ट खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके मानव जीवनचक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया गया है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-10 सितम्बर 2013 को अधिसूचित किया पर यह 5 जुलाई 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। यह अधिनियम मानव के संपूर्ण जीवन चक्र की बात करता है कि उन्हें उचित भुगतेय मूल्य पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध करायी जा सके ताकि प्रत्येक अवस्था में मानव सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। यह अधिनियम मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों की बात करता है। यह अधिनियम पूरे जनसंख्या की 2/3 (दो तिहाई) जनसंख्या को आच्छादित एवं बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने की बात कहता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तिओं द्वारा 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने एवं अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत कार्डधारी 35 किलोग्राम प्रति परिवार अनाज सहायता प्राप्त कीमतों पर प्राप्त करने के हकदार हैं। अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में संचालित जन वितरण केन्द्र, मध्याह्न भोजन, ICDS आंगनबाडी एवं मातृ लाभकारी योजना है। यह अधिनियम पूरक-पोषाहार, स्तनपान को बढ़ावा देने की बात करता है। अधिनियम में घर की मुखिया महिला जो 18 वर्ष से अधिक की है, के नाम से ही कार्ड का होना है जो महिला सशक्तिकरण को इंगित करता है।

बिहार राज्य खाद्य आयोग के कार्य

- राज्य के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करना तथा उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- अधिनियम के अध्याय II के अधीन उपबंधित एकदायित्वों के उल्लघंनों की, स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करना।
- इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना।
- व्यष्टियों को इस अधिनियम के विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुँच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना।
- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना।
- वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निम्नांकित बिंदुओं के सफल उपलब्धियों हेतु आयोग संकल्पित है :-

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों को सही गुणवत्ता एवं सही मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो सके।
- गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार उपलब्ध हो। साथ ही पोषाहार सहायता हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत भी नगद राशि लाभार्थियों को निश्चित समय पर उपलब्ध हो सके।
- बालकों/बालिकाओं (बच्चों) को पूरक पोषाहार सहायता :-
  - 6 माह से कम उम्र के बच्चों के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम एवं प्रचार प्रसार हो।
  - 6 माह से 6 वर्ष के आयु समूह को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मानक पूरक पोषाहार गर्म भोजन सहित उपलब्ध हो।
  - 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित निःशुल्क मध्याह्न भोजन निर्बाधित रुप से गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनुरुप प्राप्त हो सके।
  - स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय आंगनबाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों पर उपलब्ध हो।
- बालकों के कुपोषण निवारण एवं प्रबंधन हेतु सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण हो।
- परिवार का प्रत्येक राशन कार्ड महिला (अगर 18 वर्ष से अधिक की हो) के नाम से हो।

दिनांक–18.10.2024 को आयोग कार्यालय में बिहार में NFSA से संबंधित योजनओं के संचालन करने वाले विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया गया जिसमें संचालित योजनाओं के संबंध में और इन योजनाओं को और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही, इन योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया।

इसके अतिरिक्त दिनांक–13.05.2022 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु बिहार राज्य खाद्य आयोग से संबद्ध किया गया जिसमें उन्हें आयोग की शक्तियों एवं कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराया गया।

सुझाव

क्षेत्र भ्रमण, अनुश्रवण एवं बैठकों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को और अधिक सशक्त, प्रभावी एवं आम जन के लिए सुलभ बनाने के लिए बिहार राज्य खाद्य आयोग के निम्न सुझाव हैं:–

1. वर्तमान में अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत प्रति परिवार 35 कि0ग्रा0 अनाज दिए जाने का प्रावधान है। यदि परिवार में 8 या अधिक सदस्य हों तो भी 35 कि0ग्रा0 अनाज दिया जाएगा। इस कारण बड़े परिवार वाले अन्त्योदय कार्डधारी को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सुझाव यह होगा कि इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों को या तो 35 कि0ग्रा0 अनाज प्रति परिवार अथवा 5 कि0ग्रा0 अनाज प्रति सदस्य जो भी अधिक हो, दिए जाने का प्रावधान किया जाए।

   इस योजनान्तर्गत जिलावार लाभार्थियों की संख्या निर्धारित रहने के कारण इस योजना के लाभार्थियों की सूची को लगातार अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस योजना के किसी भी पात्र लाभुक को इस योजना में सम्मिलित होने के लिए प्रतीक्षा नहीं करना पड़े।
2. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों की पहचान हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त वर्ष 2015 में निर्धारित किए गए हैं। निर्धारण वर्ष 2015 के बाद से अद्यतन महँगाई में वृद्धि हुई है एवं इसके साथ न्यूनतम मजदूरी दर में भी वृद्धि हुई है। अत: पात्र गृहस्थियों की पहचान हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है।
3. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन एवं उनको कार्यालय भवन, कर्मी एवं कार्यालय संचालन हेतु अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्राप्त परिवादों की ससमय सुनवाई हो सके एवं अपील के मामले आयोग में त्वरित सुनवाई हेतु उपलब्ध हो सकें।
4. राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन/राशन कार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ना या हटाना/राशन कार्ड का प्रत्यर्पण; की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। राशन कार्ड बन जाने के बाद एक निश्चित अवधि, विशेषकर 1 माह के अवधि के अंदर पात्र लाभुक को खाद्यान्न निश्चित रूप से उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

5. राशन कार्ड संबंधी त्रुटियों को शीघ्र दूर किया जाना आवश्यक है। अभियान चलाकर अपात्र लाभुकों एवं मृत व्यक्तियों के नाम राशनकार्ड से हटाया जाना आवश्यक है। राशन कार्ड प्रत्यर्पण तथा अपात्र लाभुकों एवं मृत व्यक्तियों के नाम राशनकार्ड से हटाने हेतु जन जागरूकता की आवश्यकता है। पात्र लाभुकों के ई–के0वाई0सी0 के लक्ष्य को शत् प्रतिशत तक प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। परंतु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी विशेष कारण से यदि लाभुक ई–के0वाई0सी0 कराने में सक्षम नहीं हो, तो ऐसे लाभुकों को खाद्यान्न से वंचित न रखा जाए। ई–के0वाई0सी0 के बाद भी कुछ ऐसे मामले परिलक्षित हुए हैं कि राशन कार्ड में अपात्र व्यक्ति अथवा परिवार के बाहर के व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, ऐसे लाभुकों के पात्रता के संबंध में जाँच किया जाना आवश्यक है।
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के कार्यान्वयन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र होना चाहिए तथा इनका प्रशिक्षण समय–समय पर होना चाहिए।
7. पणन पदाधिकारियों के द्वारा जनवितरण केन्द्रों का प्रतिमाह निरीक्षण/औचक निरीक्षण करने का प्रावधान है। इस कार्य हेतु उन्हें वाहन की सुविधा/यात्रा भत्ता उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण का मासिक लक्ष्य पूरा हो सके। राशनकार्ड के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जाँच हेतु पणन पदाधिकारी को प्राप्त होते हैं। इस कार्य के निष्पादन हेतु इन्हें कार्यालय व्यय मद में राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
8. सहायक गोदाम प्रबंधक के लिए सभी उपस्करों के साथ एक कार्यालय होना चाहिए ताकि उन्हें कार्यों के निष्पादन में कठिनाई नहीं हो।
9. राज्य खाद्य निगम के गोदाम के पास शौचालय के निर्माण एवं पानी आपूर्त्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वहाँ कार्य करने वाले कर्मियों को सहूलियत हो।
10. प्रत्येक गोदाम तक पक्का पहुँच पथ का निर्माण भारी वाहनों के उपयोग योग्य मानकों के अनुरूप कराया जाना चाहिए ताकि अनाज का उठाव, संग्रहण एवं वितरण में सुविधा हो।
11. टी0पी0डी0एस0 गोदाम के सामने अनाज उठाव के स्थान पर शेड तथा पक्का प्लेटफार्म बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि वर्षा के दिनों में भी अनाज लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य आसानी से हो सके।

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों की सूची

क्र0 सं0	जिला का नाम	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सम्पर्क संख्या
1.	अररिया	राज मोहन झा अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191366
2.	अरवल	डॉ0 अनुपमा कुमारी अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191477
3.	औरंगाबाद	ललित भूषण रंजन अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191262
4.	बाँका	अजित कुमार अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191388
5.	बेगूसराय	राजेश कुमार सिंह अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191413
6.	भागलपुर	महेश्वर प्रसाद सिंह अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9931057593
7.	भोजपुर	मोना झा अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191233
8.	बक्सर	अनुपमा सिंह अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191240
9.	दरभंगा	नीरज कुमार अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191318
10.	पूर्वी चम्पारण	मुकेश कुमार सिंह अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191302
11.	गया	परितोष कुमार अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191245
12.	गोपालगंज	आशीष कुमार सिन्हा अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191279 7739408213
13.	जमुई	सुभाष चन्द्र मंडल अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191405
14.	जहानाबाद	ब्रजेश कुमार अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191253
15.	कैमूर	प्रकाश मंडल अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473119227
16.	कटिहार	शुभम प्रसाद अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191376
17.	खगड़िया	आरती कुमारी अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191421
18.	किशनगंज	अमरेन्द्र कुमार मंडल अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191372

क्र0 सं0	जिला का नाम	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सम्पर्क संख्या
19.	लखीसराय	सुधांशु शेखर अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191398
20.	मधेपुरा	अरूण कुमार सिंह अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191354
21.	मधुबनी	शैलेश कुमार अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191325
22.	मुंगेर	मनोज कुमार अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191392
23.	मुजफ्फरपुर	संजीव कुमार अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191284
24.	नालंदा	मंजीत कुमार अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191215
25.	नवादा	चन्द्रशेखर आजाद अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191257
26.	पटना	अनिल कुमार अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191199
27.	पूर्णियाँ	रवि राकेश अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191359
28.	रोहतास	चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191222
29.	सहरसा	संजीव कुमार चौधरी अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9431254568
30.	समस्तीपुर	अजय कुमार तिवारी अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191333
31.	सारण	मुकेश कुमार अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191268
32.	शेखपुरा	सियाराम सिंह अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191401
33.	शिवहर	मेधावी अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191492
34.	सीतामढ़ी	संदीप कुमार अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191289
35.	सीवान	उपेन्द्र प्रसाद सिंह अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191274
36.	सुपौल	मो0 कलीम अंसारी अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191346
37.	वैशाली	विनोद कुमार सिंह अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191311
38	पश्चिम चम्पारण	राजीव कुमार सिंह अपर समाहर्त्ता (राजस्व)	9473191295

OPPO F21s Pro

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मुलाकात

आँगनबाड़ी केन्द्र, नैनी, छपरा सदर प्रखंड में बच्चों के साथ पोषण युक्त भोजन ग्रहण करते हुए माननीय अध्यक्ष

मध्य विद्यालय, शेरपुर, छपरा में बच्चों के साथ भोजन ग्रहण करते हुए माननीय अध्यक्ष

बाल गृह सीतामढ़ी
2020
बाल गृह में आवासित बालको की संख्या - 04
उम्र के अनुरूप बालको का विवरण
7 से 11
12 से 14
15 से 18
18 से ऊपर
02
01
01
00
निहित स्थानीय अनुरूप बालको का विवरण
सीतामढ़ी
अन्य जिला
राज्य
देश
अज्ञात
03
01
स्वास्थ्य अनुरूप बालको की स्थिति
सामान्य
दिव्यांग
मानसिक
03
01

Galaxy S20 FE 5G

राशन कार्ड जागरूकता कार्यक्रम
मुख्य अतिथि
आयोजक

महानंदा
श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार
की अध्यक्षता में
बैठक

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

"प्रज्ञान"
समाहरणालय
पूर्णिया

वार्षिक प्रतिवेदन
2024-25

बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना

पता : ऑफिसर्स फ्लैट 19-20/84, न्यू पुनाईचक, पटना - 800023

दूरभाष : 0612-2283951 I ई-मेल : brkapatna@gmail.com I वेबसाइट : www.brka.bihar.gov.in

किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए टॉल फ्री नंबर **1800 3456 194** एवं **1967** पर कॉल करें।